[2018] 3 एस. सी. आर 971

राम पाल सिंह

वी.

यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य

(अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (सिविल) 2017 की संख्या 31990)

अप्रैल 24,2018

[मदन बी. लोकुर और दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें

अधिनियम, 1961:

एसएस। 6 (1) (ख) और 15 आर/डब्ल्यू आर। 3 (3) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें (अध्यक्ष के पद की शपथ या

प्रमुख आदि) नियम, 1994-क्षेत्र पंचायत के 'प्रमुख' के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव-39 निर्वाचित सदस्यों द्वारा पेश किया गया 'प्रमुख' (याचिकाकर्ता) की याचिका कि नहीं के लिए अनुरोध

एस को देखते हुए विश्वास प्रस्ताव बनाए रखने योग्य नहीं था। 15 क्योंकि इसे केवल 26 निर्वाचित सदस्यों (यानी कुल संख्या के आधे से भी कम यानी 63 निर्वाचित सदस्यों) द्वारा हस्ताक्षरित माना जा सकता है क्योंकि 13 निर्वाचित सदस्य जिन्होंने पद की शपथ नहीं ली थी, वे हस्ताक्षर या प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते थे-आयोजितः मदन लोकुर, जे के अनुसारः यह इंगित करने के लिए कानून में कुछ भी नहीं है कि निर्वाचित सदस्य शपथ नहीं लेने पर सदस्य नहीं रह जाता है-इसके अलावा, यदि 13 सदस्यों को निर्वाचित सदस्य नहीं माना जा सकता है, तो उन्हें रचना या गिनती के उद्देश्य से भी नहीं माना या गिना नहीं जा सकता है। क्षेत्र पंचायत की कुल संख्या-यदि हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या में 13 की कमी आती है, तो निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भी 13 की कमी आएगी-इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव एक संख्यात्मक रूप से वैध मांग थी-मामले के तथ्यों में यह माना जाता है कि सभी 63 सदस्य

प्रस्ताव पेश करने से पहले पद की शपथ ली थी इस प्रकार 13 सदस्य निर्वाचित सदस्य थे और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के हकदार थे-दीपक गुप्ता, जेः जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है, वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं-यदि वे इस तरह के प्रस्ताव पर मतदान करने के हकदार नहीं हैं (शपथ नहीं ली है) तो उन्हें इस तरह के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का हकदार या पात्र नहीं ठहराया जा सकता है-हालांकि,

यह प्रश्न कि क्या कुछ सदस्यों ने शपथ ली थी या नहीं, विवादित है और चूंकि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि ऐसे सदस्यों ने शपथ नहीं ली थी, इसलिए याचिका खारिज की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शपथः

पद की शपथ-सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा-पवित्रता-आयोजितः शपथ को अर्थहीन नहीं बनाया जा सकता-विधानमंडल है

इस तरह की शपथ की सदस्यता नहीं लेने के लिए परिणाम प्रदान करने की सलाह दी गई-इस विवाद से बचने के लिए कि शपथ ली गई थी या नहीं, उसी का रिकॉर्ड बनाए रखने की सलाह दी गई।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः मदन

बी. लोकुर, जे. :

13 निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन क्षेत्र पंचायत की संरचना के उद्देश्यों के लिए वे निर्वाचित सदस्य होते हैं जिससे क्षेत्र पंचायत की संख्या 63 बनी रहती है। यदि वे अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 39 से घटकर 26 रह जाएगी। तदनुसार, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी 63 से घटकर 50 हो जाएगी। नतीजतन, यह निष्कर्ष निकालना होगा कि क्षेत्र पंचायत के 50 निर्वाचित सदस्यों में से 26 ने हस्ताक्षर किए हैं

अविश्वास प्रस्ताव, 50 प्रतिशत से अधिक निर्वाचित सदस्य। यदि 13 निर्वाचित सदस्य एक उद्देश्य के लिए निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, तो उन्हें दूसरे उद्देश्य के लिए अलग दर्जा नहीं मिल सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते समय और क्षेत्र की संरचना के लिए उनकी स्थिति निर्वाचित सदस्य (या निर्वाचित सदस्य नहीं) के समान ही होनी चाहिए।

पंचायत। [पैरा 21,22] [982-बी-ई] 1.2 मामले के तथ्यों में, क्षेत्र पंचायत के सभी 63 निर्वाचित सदस्यों ने 18 मार्च, 2018 को पद की शपथ ली।

और 28 मार्च, 2018 को क्षेत्र पंचायत के 17 निर्वाचित सदस्यों में से किसी को भी कोई सूचना नहीं भेजी गई या प्राप्त नहीं की गई, जिन पर 18 मार्च, 2018 को पद की शपथ नहीं लेने का आरोप लगाया गया था। नतीजतन, याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक संख्यात्मक रूप से वैध मांग थी, जिस पर क्षेत्र पंचायत के 50 प्रतिशत से अधिक निर्वाचित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। [पैरा 25] [983-सी] राम पाल सिंह बनाम।

यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य

1.3 कानून में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि एक निर्वाचित सदस्य क्षेत्र पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है यदि वह या वह पद की शपथ नहीं लेती है। हालांकि यह अजीब है और

अधिनियम, 1961। इसलिए, यदि नं. विश्वास प्रस्ताव संख्यात्मक रूप से वैध था, उस पर चर्चा पंचायत में होगी और मांग अपने उचित भाग्य को पूरा करेगी। [पैरा 23,24] [982-एफ-एच; 983-ए]

1.4 याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के 13 हस्ताक्षरकर्ता क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य थे और अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के हकदार थे और इस संबंध में कोई कमजोरी नहीं थी। [पैरा 37] [988-ए]

भूपिंद्र नाथ बसु बनाम। रणजीत सिंह बहादुर ए. आई. आर. 1914 कलकत्ता 152; पशुपति नाथ सुकुल बनाम। नेम चंद्र जैन और अन्य। (1984) 2 एससीसी 404: [1984] 1 एस. सी. आर. 939; श्रीमती कमला देवी बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। 2014 (8) एडीजे 525-संदर्भित।

इन री मेयर ऑफ़ पेनरीन 1 स्ट्रेंज 582 = 93 ई. आर. 714; रेक्स वी. स्वायर 1 अजीब 582 = 93 ई. आर. 714-संदर्भित

को।

2.1 पद की शपथ लेने को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यह सराहना की जानी चाहिए कि पद की शपथ लेना केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ हद तक गंभीरता और पवित्रता जुड़ी हुई है। अलग-अलग कानून अलग प्रदान करते हैं

पद की शपथ न लेने के लिए परिणाम (कुछ काफी हल्के)।

चूँकि पद की शपथ लेना एक गंभीर अवसर है, इसलिए ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप गंभीर परिणाम होने चाहिए, जैसे कि एक निर्दिष्ट समय के बाद सीट को खाली घोषित किया जाना। निर्वाचित प्रतिनिधियों से एक निर्दिष्ट समय के भीतर पद की शपथ नहीं लेने के लिए गंभीर परिणामों के साथ मुलाकात की जाती है, मुख्य रूप से क्योंकि संविधान भी पद की शपथ को बहुत गंभीरता से जोड़ता है। [पारस 33,34] [986-बी-सी; 987-सी] [2018] 3 एस. सी. आर.

2.2 पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पद की शपथ लेने को गंभीरता से लेने की आवश्यकता के अलावा, राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पद की शपथ लेने का एक निर्विवाद रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। जब तक पद की शपथ की पवित्रता की सराहना नहीं की जाती है और उचित दस्तावेज नहीं रखे जाते हैं, तब तक वर्तमान जैसी स्थितियां जहां कोई विवाद उठाया जाता है कि क्या कोई निर्वाचित व्यक्ति है।

एक निकाय के सदस्य ने पद की शपथ ली है, उनका सामना करना जारी रहेगा। इस तरह के विवादों से पूरी तरह से बचा जा सकता है। [पैरा

36] [987 - ई-जी]

दीपक गुप्ता, जे। : (निष्कर्ष के साथ सहमति)

1.1 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के नियम 3 (3) (अध्याय या प्रमुख आदि के पद की शपथ) नियम, 1994 में निर्धारित किया गया है कि पहली बार अपनी सीट लेने से पहले, सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान की सदस्यता लेनी चाहिए। यदि वह शपथ नहीं लेता है, तो वह सदस्य बनना बंद नहीं करता है, लेकिन साथ ही, वह सदन के कामकाज में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पंचायत की कार्यवाही का हिस्सा है, क्योंकि इस तरह का प्रस्ताव अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है और इसलिए, यह पंचायत के कार्य का हिस्सा है। एक निर्वाचित सदस्य जिसने शपथ नहीं ली है, वह आगे नहीं बढ़ सकता है और इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। इस तरह का आंदोलन होना चाहिए

अधिनियम की धारा 15 के संदर्भ में स्थानांतरित किया गया। जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है और इसलिए, ऐसे अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने के हकदार नहीं हैं, उन्हें ऐसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का हकदार या पात्र नहीं माना जा सकता है। अन्यथा, यह एक बहुत ही विषम स्थिति पैदा कर देगा जहाँ ऐसे सदस्य एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर सकते हैं लेकिन जब उक्त प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है तो वे मतदान नहीं कर सकते। यह विधानमंडल का इरादा नहीं हो सकता था। अधिनियम की धारा 15 (12) और (13) में प्रावधान है कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो सकता है।

चुनाव होने के एक वर्ष के भीतर या प्रस्ताव की अस्वीकृति के एक वर्ष के भीतर प्रस्ताव रखा जाता है। इसलिए, जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है, उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान करने का अधिकार नहीं है, उन्हें इस तरह के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 10] [992-सी-एफ]

1.2 हालांकि, तथ्यों के बारे में विवादित सवाल हैं कि क्या कुछ सदस्यों ने शपथ ली थी या नहीं, जो राम पाल सिंह बनाम पर सवाल उठाता है।

यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य

इस स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है और याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि इन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है। [पैरा 12] [993-ए-बी]

पशुपति नाथ सुकुल बनाम। नेम चंद्र जैन और अन्य। (1984) 2 एससीसी 404 [1984] 1 एससीआर 939; भूपेंद्र

नाथ बसु बनाम। रणजीत सिंह ए. आई. आर. 1914 Cal.152-आयोजित

स्वायर 109 ई. आर. 531 (किंग्स बेंच)-संदर्भित

2. भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेद और विभिन्न

अन्य कानूनों में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों को निष्ठा की शपथ लेनी चाहिए। इस शपथ को अर्थहीन नहीं बनाया जा सकता है और विधानमंडल को इस तरह के पद की शपथ को स्वीकार नहीं करने के लिए परिणाम प्रदान करने की अच्छी सलाह दी जाएगी। को।

भविष्य में इस तरह के विवाद से बचें, यह भी सलाह दी जाएगी कि शपथ ग्रहण/शपथ ग्रहण की वीडियोग्राफी की जाए ताकि भविष्य में ऐसा कोई विवाद पैदा न हो। [पैरा 12] [975-बी-सी]

मामला कानून संदर्भ

मदन बी. लोकुर के निर्णय में, जे.

ए. आई. आर. 1914 कलकत्ता 152 संदर्भित

पै

रा 27

[1984] 1 एससीआर 939

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

2014 (8) एडीजे 525

दीपक के निर्णय में

गुप्ता, जे.

अप्रयोज्य रखा गया

[1984] 1 एससीआर 939

पै

रा 3

अप्रयोज्य रखा गया

ए. आई. आर 1914 Cal.152

पै

रा 3

पैरा 3

2014 (8) एडीजे 525

अच्छा कानून नहीं है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश के लिए याचिका

2017 की अपील (सिविल) संख्या 31990।

उच्च न्यायालय के 12.09.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के डब्ल्यू. सी. सं. 41252 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , शांतवानू सिंह, सुश्री वामशी राव, सुश्री मीशा, सुरिंदर दत्त शर्मा, मेघशम एस. भंगले, मुरारी बाबू

शर्मा, अशोक कुमार सिंह, कौशल यादव, नंदलाल कुमार मिश्रा, डॉ. अजय कुमार, कमलेश कुमार मौर्य, श्रीमती सुनीता यादव, अली मुश्ताक नवाशीश, महेंद्र सिंह, तुहीन लवानिया, प्रवीण

अग्रवाल, आर. के. सिंह, श्रीमती नीरज सिंह, कुमार गौरव, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. ए. जी., पी. एस. पटवालिया, एस. आर. सिंह, प्रदीप कांत, वरिष्ठ अधिवक्ता। , भंवर पाल सिंह जादोन, सुश्री हर्षिका वर्मा, उमेश गुप्ता, राम अनुगढ़ सिंह, मनोज के. मिश्रा, राजीव कुमार दुबे, अमित कुमार सिंह, आदर्श उपाध्याय, गर्व गबरा, गौरव अग्रवाल, सुश्री विमलेश कुमार शुक्ला, सुश्री पारुल शुक्ला, ई. सी. अग्रवाल, हिमांशु सतीजा, सुनील मुरारका, राजेश कुमार, अदभूत पाठक, आर. के. सिंह, प्रवीण स्वरूप, वरिंदर कुमार शर्मा, पी. के. सिंह, नीरज श्रीवास्तव, विजय पाल, अजय सिंह, दिव्यांशु सहाय, संजय गोयल, सनी चौधरी, सुश्री प्रीतिका द्विवेदी, संतोष कृष्णन, परमात्मा सिंह, राम अनुग्रह, विपिन। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के निम्नलिखित दो निर्णय दिए गए थे - मदन बी. लोकुर, जे. 1. जारी अधिसूचना के अनुसार

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा 21 सितंबर, 2015 को क्षेत्र पंचायत, जसराना, जिला फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) के लिए 7 फरवरी, 2016 को चुनाव आयोजित किए गए थे। जाहिरा तौर पर, राज्य चुनाव आयोग द्वारा उसी दिन परिणाम घोषित किए गए और 63 उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया गया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि चुनाव उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत आयोजित किए गए थे।

एक निर्वाचित सदस्य

2. अधिनियम 'निर्वाचित सदस्य' अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं करता है। वर्तमान याचिका के प्रयोजनों के लिए हम इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कि एक 'निर्वाचित सदस्य' एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विधिवत रूप से चुना गया है।

चुने गए। 'निर्वाचित सदस्य' ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों (अध्यक्ष या प्रमुख आदि के पद की शपथ) के संदर्भ में पद की शपथ ली होगी या नहीं ली होगी। नियम, 1994 (इसके बाद नियम के रूप में संदर्भित)। हम यह तब भी कहते हैं जब पद की शपथ लेने के साथ कुछ पवित्रता जुड़ी होती है, जिसका विज्ञापन हम बाद में करेंगे।

3. नियमों के नियम 2 (2) में 'सदस्यों' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया हैः

जो पद की शपथ लेने के संदर्भ के बिना भी हैः

" 2 (2) " सदस्यों का अर्थ है धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के मामले में और खंड (बी) के तहत निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के मामले में।

अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1)।

4. अधिनियम की धारा 6 (1) में प्रावधान है कि एक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख होगा, जो इसका अध्यक्ष होगा। धारा 6 (1) (बी) में प्रावधान है कि खंड में ग्राम पंचायतों के सभी प्रधान क्षेत्र पंचायत का गठन करेंगे। धारा 6 (1) (बी)

यह प्रावधान है कि क्षेत्र पंचायत के 'निर्वाचित सदस्यों' का चयन पंचायत क्षेत्रों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, ऐसा प्रतीत होता है कि पद की शपथ लेने से जुड़ी पवित्रता के बावजूद, एक 'निर्वाचित सदस्य' वह होता है जो अधिनियम की धारा 6 (1) (बी) के अनुसार क्षेत्र पंचायत के लिए चुना जाता है, चाहे वह पद की शपथ ले या न ले।

5. एक 'निर्वाचित सदस्य' का एकमात्र प्रतिकूल परिणाम नहीं

पद की शपथ लेने का प्रावधान नियमों के नियम 3 (3) में दिया गया है। प्रतिकूल परिणाम यह है कि यदि क्षेत्र पंचायत का सदस्य ऐसा नहीं करता है शपथ या प्रतिज्ञा लें या उस पर हस्ताक्षर करें, फिर वह क्षेत्र पंचायत में सीट नहीं ले सकता है। नियम 3 (3) में लिखा हैः

" 3 (3) . जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य पहली बार अपना स्थान ग्रहण करने से पहले ऐसे सदस्य के रूप में जिला पंचायत के सदस्य के मामले में अध्यक्ष के समक्ष और उनकी अनुपस्थिति में मुख्य अधिकारी के समक्ष और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के मामले में प्रमुख के समक्ष और उनकी अनुपस्थिति में खंड विकास अधिकारी के समक्ष परिशिष्ट में दिए गए प्रपत्र में शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे।

6. दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 6 (1) (बी) के तहत क्षेत्र पंचायत के लिए विधिवत निर्वाचित व्यक्ति को 'निर्वाचित सदस्य' के रूप में वर्णित किया जाता है और वह 'निर्वाचित सदस्य' बना रहता है और यदि वह 'निर्वाचित सदस्य' पद की शपथ नहीं लेता है, तो वह 'निर्वाचित सदस्य' नहीं रहेगा। एकमात्र परिणाम यह है कि 'निर्वाचित सदस्य' में एक सीट नहीं ले सकता है

क्षेत्र पंचायत और इसलिए पंचायत की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है। इस चर्चा का महत्व आगे स्पष्ट होगा।

पद की शपथ लेते हुए

7. राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के परिणाम को अधिसूचित किए जाने के बाद, क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक 18 मार्च, 2016 को हुई। इस बैठक में 'निर्वाचित सदस्यों' ने याचिकाकर्ता (राम पाल सिंह) को प्रमुख के रूप में चुना। उन्होंने सदस्यता ली

उप-मंडल मजिस्ट्रेट/नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ

जिला मजिस्ट्रेट। इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संस्करण यह है कि उन्होंने 'निर्वाचित सदस्यों' को पद की शपथ दिलाई, सिवाय इसके कि 17 निर्वाचित सदस्य जो उपस्थित नहीं थे। दूसरी ओर, चुनाव लड़ने वाले निजी उत्तरदाताओं (निर्वाचित सदस्यों) के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत संस्करण इस आशय का है कि सभी 63 निर्वाचित सदस्यों ने पद की शपथ ली। हमें इस तथ्यात्मक विवाद का समाधान करने की आवश्यकता है।

8. इस संबंध में, हमें पहले में दो दस्तावेज दिखाए गए हैं।

उदाहरण के लिए, एक याचिकाकर्ता द्वारा और दूसरा चुनाव लड़ने वाले निजी उत्तरदाताओं (निर्वाचित सदस्यों) द्वारा। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार, उप-मंडल अधिकारी/प्रमुख ने बताया कि 18 मार्च, 2016 को क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही में निर्वाचित सदस्यों में से 17 ने पद की शपथ नहीं ली थी। दूसरा दस्तावेज़ निजी चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं द्वारा इस आशय से दायर किया गया है कि कार्यवाही 18 मार्च, 2016 को आयोजित की गई थी जिसमें उन्होंने भाग लिया था, लेकिन दस्तावेज़ में इस आशय का एक अंतर्वेशन है कि 17 निर्वाचित सदस्यों ने पद की शपथ नहीं ली थी। निवेदन यह है कि वे पद की शपथ लेने के बाद ही कार्यवाही में भाग ले सकते थे।

9. तदनुसार, हमारे पास 18 मार्च, 2016 की कार्यवाही के दो परस्पर विरोधी संस्करण हैं। याचिकाकर्ता का निवेदन है कि 17

निर्वाचित सदस्यों ने पद की शपथ नहीं ली और 18 मार्च, 2016 को आयोजित कार्यवाही में भाग नहीं लिया। निजी चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं का निवेदन है कि उन्होंने पद की शपथ ली थी, वे थे

18 मार्च, 2016 की कार्यवाही में भाग लेने के लिए हकदार और भाग लिया और कार्यवाही के रिकॉर्ड में एक अंतर्वेशन केवल यह सुझाव देने के लिए किया गया है कि उन्होंने पद की शपथ नहीं ली थी। प्रतिस्पर्धा करने वाले निजी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने एक अतिरिक्त प्रस्तुति दी और

जवाबी हलफनामे में किए गए कथनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि इन निर्वाचित सदस्यों को उनके दैनिक भत्ते के साथ-साथ बाद की बैठकों के लिए उनके यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया था और यह भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब वे बैठकों में भाग लेते।

पद की शपथ लेने के बाद क्षेत्र पंचायत की। इस कथन का किसी ने विशेष रूप से खंडन नहीं किया है।

10. इस गंभीर तथ्यात्मक विवाद को देखते हुए, हमारी राय है

कि राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर भरोसा करना उचित होगा। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि खंड विकास अधिकारी के कार्यालय द्वारा 12 जनवरी, 2018 को जारी एक पत्र में कहा गया है कि क्षेत्र पंचायत के सभी 63 सदस्यों ने 18 मार्च, 2016 को पद की शपथ ली थी। 11. 11 जनवरी, 2018 को उपायुक्त, शिकोहाबाद द्वारा जारी एक पत्र की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। यह पत्र 18 मार्च, 2016 की घटनाओं की जांच की प्रकृति का है और इसे मुख्य विकास अधिकारी, जिला को संबोधित किया गया है।

12. याचिकाकर्ता ने अपने मामले के समर्थन में दो अन्य दस्तावेजों पर भरोसा किया है कि 17 निर्वाचित सदस्यों ने पद की शपथ नहीं ली थी। 18 मार्च, 2016। इस तरह का पहला दस्तावेज 28 मार्च, 2016 को ब्लॉक विकास अधिकारी, जसराना द्वारा जारी एक पत्र है, जिसमें 17 निर्वाचित सदस्यों को संबोधित किया गया है, जिसमें उन्हें उपस्थित रहने की आवश्यकता है

31 मार्च, 2016 को अपने कार्यालय में पद की शपथ लेने और इस बात की पुष्टि करने के लिए आवश्यक प्रपत्र भरने के लिए कि पद की शपथ ली गई है।

13. 28 मार्च, 2016 को भेजे गए पत्र के बाद याचिकाकर्ता ने 31 मार्च को एक अन्य दस्तावेज का उल्लेख किया था।

मार्च, 2016 जिसमें कहा गया है कि 17 निर्वाचित सदस्यों में से 3 ने पद की शपथ ली। इस दस्तावेज़ में सहायक विकास अधिकारी (पश्चिम) को शेष 14 निर्वाचित सदस्यों द्वारा ली जा रही शपथ की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाने की भी आवश्यकता होती है।

14. दूसरी ओर, 11 जनवरी, 2018 के संचार/रिपोर्ट में डिप्टी कलेक्टर, शेकोहाबाद ने विशेष रूप से कहा है कि

रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि 28 मार्च, 2016 को 17 निर्वाचित सदस्यों को कोई संदेश भेजा गया था। [2018] 3 एस. सी. आर. का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

संचारित किया गया है और न ही 17 निर्वाचित सदस्यों द्वारा संचार की प्राप्ति दिखाने वाला कोई दस्तावेज है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लॉक विकास अधिकारी, जसराना से भी संपर्क किया गया था

लेकिन वह 28 मार्च, 2016 के संचार के किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड का कोई सबूत या सबूत देने में असमर्थ रहे।

15. 12 जनवरी, 2018 के पत्र में खंड विकास अधिकारी, जसराना के कार्यालय से जिले को भेजा गया

पंचायत राज कार्यालय, फिरोजाबाद में कहा गया है कि 28 मार्च, 2016 के संचार से संबंधित कोई रसीद या प्रेषण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। 16. राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामा इस बात की पुष्टि करता है कि क्षेत्र पंचायत के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि 28 मार्च, 2016 को 17 निर्वाचित सदस्यों को कोई पत्र भेजा गया था। हम प्रस्तुतिकरण और स्पष्ट कथन को स्वीकार करते हैं

अभिलेख के आधार पर बताएँ और निष्कर्ष निकालें कि कोई संचार दिनांकित नहीं है

17. इसके बाद याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि अगर वास्तव में 28 मार्च, 2016 को कोई संदेश नहीं भेजा गया था, तो 17 निर्वाचित सदस्यों में से 3 के लिए 31 मार्च, 2016 को पद की शपथ लेने का कोई कारण नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले 18 मार्च, 2016 को पद की शपथ ली थी। हमारे लिए इस मुद्दे में जाने की आवश्यकता नहीं है और यह पूरी तरह से 3 निर्वाचित सदस्यों को समझाना है कि उन्होंने 18 मार्च, 2016 को पद की शपथ लेने के बाद 31 मार्च, 2016 को एक बार फिर पद की शपथ क्यों ली। 18. इस संबंध में हमारा निष्कर्ष है कि क्षेत्र पंचायत के सभी 63 निर्वाचित सदस्यों ने 18 मार्च, 2016 को पद की शपथ ली थी।

अविश्वास प्रस्ताव नहीं

19. जैसे-जैसे समय बीतता गया, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता और क्षेत्र के अन्य निर्वाचित सदस्यों के बीच संबंधों में खटास आई थी पंचायत। नतीजतन, 12 जून, 2017 को याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव 39 निर्वाचित सदस्यों द्वारा पेश किया गया था, जिसमें 13 निर्वाचित सदस्य शामिल थे, जिन्होंने कथित रूप से पद की शपथ नहीं ली थी। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव पर केवल 26 निर्वाचित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जो क्षेत्र पंचायत के कुल 63 निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधे से भी कम है। इस प्रकार, अधिनियम राम पाल सिंह बनाम की धारा 15 को ध्यान में रखते हुए।

o विश्वास प्रस्ताव कानून में बनाए रखने योग्य नहीं था और मांग को सीमा पर खारिज कर दिया जाना था। यह प्रावधान इस प्रकार हैः

15. प्रमुख में अविश्वास प्रस्ताव-(1) एक प्रस्ताव

(2) प्रस्ताव को निर्धारित किए गए रूप में प्रस्तुत करने के इरादे की लिखित सूचना, जिस पर कुल संख्या के कम से कम आधे लोगों ने हस्ताक्षर किए हों। कुछ समय के लिए क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रति के साथ, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी एक द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजा जाएगा।

क्षेत्र पंचायत पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले कलेक्टर।

(3) से (10) XXX XXX (11) यदि प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक के समर्थन से लाया जाता है

अभी के लिए -

(क) पीठासीन अधिकारी क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर इसकी सूचना चिपकाकर और राजपत्र में भी इसे अधिसूचित करके तथ्य को प्रकाशित कराएगा, और

(ख) प्रमुख या, यथास्थिति, (एस. आई. सी.) इस प्रकार पद धारण करना बंद कर देगा और उस तारीख को और उसके बाद से उसे खाली कर देगा जिस दिन क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस तय किया गया है।

उसी प्रमुख में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव या (sic) से एक वर्ष की समाप्ति के बाद तक प्राप्त किया जाएगा

ऐसी बैठक की तारीख।

(13) इस धारा के तहत प्रस्ताव की कोई सूचना, यथास्थिति, किसी प्रमुख या (एस. आई. सी.) द्वारा पद ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर प्राप्त नहीं की जाएगी।

20. हम निर्वाचित सदस्यों [2018] 3 एस. सी. आर. की स्थिति के संबंध में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान स्वयं को प्रस्तुत करने में एक भ्रांति और द्विभाजन पाते हैं।

क्षेत्र पंचायत जिन्होंने कथित रूप से पद की शपथ नहीं ली है।

21. भ्रांति और द्विभाजन इस तरह से उत्पन्न होता हैः या तो 13 निर्वाचित सदस्य क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य बने रहेंगे।

पंचायत, उनके पद की शपथ नहीं लेने के बावजूद या वे क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य नहीं रह जाते हैं। यदि वे अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 39 से घटकर 26 हो जाएगी। तदनुसार, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी 63 से घटकर 50 हो जाएगी। नतीजतन, यह निष्कर्ष निकालना होगा कि चूंकि क्षेत्र पंचायत के 50 निर्वाचित सदस्यों में से 26 ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए 50 प्रतिशत से अधिक निर्वाचित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए, अविश्वास प्रस्ताव अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत बनाए रखने योग्य होगा।

22. दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील की ओर से यह तर्क देना सही नहीं है कि सं.

विश्वास प्रस्ताव, 13 निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, लेकिन क्षेत्र पंचायत की संरचना के उद्देश्यों के लिए वे निर्वाचित सदस्य हैं जिससे क्षेत्र पंचायत की संख्या 63 बनी रहती है। यदि 13 निर्वाचित सदस्य एक उद्देश्य के लिए निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, तो उन्हें दूसरे उद्देश्य के लिए अलग दर्जा नहीं मिल सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते समय और क्षेत्र पंचायत की संरचना के लिए उनकी स्थिति निर्वाचित सदस्य (या निर्वाचित सदस्य नहीं) के समान ही होनी चाहिए।

23. इसके अलावा, कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करे कि एक निर्वाचित सदस्य क्षेत्र पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है यदि वह

पद की शपथ नहीं लेते हैं।

24. इस भ्रांति और द्वैतवाद से उबरने के लिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि यह अजीब और अतार्किक होगा। कि 13 निर्वाचित सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर सकते थे, भले ही उन्होंने पद की शपथ नहीं ली थी, लेकिन वे वास्तव में पंचायत में मतदान नहीं कर सकते थे क्योंकि वे पंचायत में एक सीट के हकदार नहीं थे, पद की शपथ नहीं ली थी। हालांकि यह अतार्किक और तर्कहीन प्रतीत हो सकता है, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों को कोई चुनौती नहीं है और हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि यदि अविश्वास प्रस्ताव की मांग संख्यात्मक रूप से मान्य थी, तो उस पर चर्चा राम पाल सिंह v.

25. यद्यपि हम तथ्यात्मक विवादों पर निर्णय लेने के लिए अनिच्छुक हैं, हम इस विशेष मामले में परस्पर विरोधी दावों की प्रकृति और इस तथ्य के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर हुए हैं कि हम इसके बारे में चिंतित हैं। क्षेत्र पंचायत के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि। यह कहा जा रहा है कि तथ्यों पर हमारा निष्कर्ष यह है कि क्षेत्र पंचायत के सभी 63 निर्वाचित सदस्यों ने 18 मार्च, 2018 को पद की शपथ ली थी और 28 मार्च, 2018 को क्षेत्र पंचायत के 17 निर्वाचित सदस्यों में से किसी को भी कोई पत्र नहीं भेजा गया था या प्राप्त नहीं किया गया था।

18 मार्च, 2018 को पद की शपथ नहीं ली है। नतीजतन, याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संख्यात्मक रूप से वैध था।

क्षेत्र पंचायत के 50 प्रतिशत से अधिक निर्वाचित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित।

कानून में स्थिति

26. 100 से अधिक वर्षों से कानूनी स्थिति तय होने के बाद, हम निर्धारित कानून को बदलने की कोई गंभीर आवश्यकता या कोई आवश्यकता नहीं देखते हैं।

27. भूपिंद्र नाथ बसु बनाम। रणजीत सिंह बहादुर 1 गवर्नर-जनरल की परिषद के दो गैर-आधिकारिक अतिरिक्त सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रश्न। यह आरोप लगाया गया था कि दो मतदाताओं ने निष्ठा की शपथ नहीं ली थी और इसलिए गैर-आधिकारिक अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव अमान्य था। चुनाव में एक असफल उम्मीदवार ने चुनाव की वैधता पर सवाल उठाया और मांग की

निष्ठा की शपथ नहीं लेने वाले दो निर्वाचकों के मतों को अलग करने के बाद मतों की पुनः गिनती।

28. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इन रे मेयर ऑफ पेनरीन 2 को संदर्भित किया

और रेक्स वी। स्वायर 3 ने नोट किया कि एक व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर भर्ती किया जाता है (जिसके लिए निष्ठा की शपथ की आवश्यकता होती है) केवल तभी जब वह शपथ ली जाती है। हालाँकि, संबंधित विनियमन ने इस मुद्दे का समाधान नहीं किया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विनियमन द्वारा प्रदत्त 'विधायी कार्यों' को करने के उद्देश्य से, यह एक आवश्यक आवश्यकता थी कि -

निष्ठा की शपथ ली जाती है। शपथ लेने में चूक का मात्र तथ्य

[1]A.I.R। 1914 कलकत्ता 152

1 अजीब 582 = 93 ई. आर. 714

3 10 ईसा पूर्व और सी. 486 = 8 एल. जे. (ओएस.) के. बी. 221 = 109 ई. आर. 531

इसके अतिरिक्त, विनियम 8 (1) (बी) ने गवर्नर-जनरल को विवेकाधिकार दिया यदि निर्वाचित व्यक्ति निष्ठा की शपथ लेने में विफल रहता है तो किसी सीट को शून्य घोषित करना। उद्धृत मामले में, गवर्नर-जनरल ने इस तरह के विकल्प का प्रयोग नहीं किया था। इसलिए, केवल यह तथ्य कि दो निर्वाचित सदस्यों ने निष्ठा की शपथ नहीं ली, के परिणामस्वरूप चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी अवैध नहीं थी।

29. कुछ इसी तरह की स्थिति पशुपति नाथ सुकुल बनाम में उत्पन्न हुई। नेम चंद्र जैन और अन्य। इस मामले में, एक विधान सभा के सदस्य, जिन्होंने पद की शपथ नहीं ली थी, ने राज्यसभा के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार का प्रस्ताव रखा था। निर्धारित कानून को मंजूरी देना

भूपिंद्र नाथ बसु इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब तक निर्वाचित सदस्य का नाम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के प्रावधानों के तहत प्रकाशित अधिसूचना में दिखाई देता है, तब तक सदस्य एक निर्वाचित सदस्य की सभी 'गैर-विधायी गतिविधियों' में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 188 का संदर्भ दिया गया था जिसमें प्रावधान किया गया है कि विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान लेने से पहले, संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

संविधान का अनुच्छेद 188 इस प्रकार हैः
“ किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा उस संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, राज्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

तीसरी अनुसूची में उद्देश्य "।

इस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा रिपोर्ट के पैराग्राफ 20 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" हमारा विचार है कि एक निर्वाचित सदस्य जिसने शपथ नहीं ली है, लेकिन जिसका नाम अधिनियम की धारा 73 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में दिखाई देता है, वह एक निर्वाचित सदस्य की सभी गैर-विधायी गतिविधियों में भाग ले सकता है। राज्यसभा के चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग भी उनके द्वारा किया जा सकता है। इस मामले में क्योंकि यह विवादित नहीं है कि प्रस्तावक का नाम उस तारीख से पहले शामिल किया गया था जिस दिन उसने अधिनियम की धारा 73 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में एक उम्मीदवार के रूप में अपीलार्थी का नाम प्रस्तावित किया था और अधिनियम की धारा 152 के तहत रखी गई मतदाता सूची में।

4 (1984) 2 एस. सी. सी. 404 राम पाल सिंह बनाम

उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [मदन बी. लोकुर, जे.]

अधिनियम, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि इसमें कोई दुर्बलता नहीं थी

नामांकन। .... ”

30. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया कि चूंकि प्रस्तावक का नाम धारा 73 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में दिखाई दिया था

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के नामांकन में कोई कमी नहीं थी। 31. कलकत्ता उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के निर्णय को श्रीमती में संदर्भित किया गया और उस पर भरोसा किया गया। कमला देवी बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। इस मामले में कुछ हद तक वर्तमान जैसी स्थिति है।

हमारे सामने कार्यवाही शुरू हो गई थी। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए और उसे आगे बढ़ाया गया। इसे चुनौती देते हुए ब्लॉक प्रमुख का निवेदन था कि क्षेत्र पंचायत के 11 निर्वाचित सदस्यों ने निर्वाचित होने के बाद पद की शपथ नहीं ली थी। इसलिए, वे अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाई गई बैठक में भाग लेने और अपना वोट डालने के लिए अयोग्य थे। यह संतोषजनक था कि इन 11 निर्वाचित सदस्यों को क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के रूप में नहीं माना जा सकता था और यदि उनके मतों की अवहेलना की जाती है, तो अविश्वास प्रस्ताव विफल हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों के बाद इस तर्क को खारिज कर दिया। 32. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने 'विधायी कार्यों' और 'गैर-विधायी कार्यों' के प्रदर्शन के बीच अंतर करने की मांग की।

क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य के कार्य। यह प्रस्तुत किया गया था कि क्षेत्र पंचायत का कोई विधायी कार्य नहीं है और इसके कर्तव्य और जिम्मेदारियां संविधान के अध्याय IX द्वारा सीमित हैं। विद्वान वकील का प्रस्तुत करना कड़ाई से सही नहीं हो सकता है क्योंकि पंचायत को राज्य विधानमंडल द्वारा कर, शुल्क, टोल और शुल्क लगाने, एकत्र करने और उचित करने का अधिकार दिया जा सकता है। हालाँकि, इस मुद्दे में गए बिना, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के निर्णय का व्यापक उद्देश्य यह है कि यदि कोई निर्वाचित सदस्य पद की शपथ नहीं लेता है, तो वह क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, जब तक कि किसी क़ानून में इसके विपरीत कुछ न हो, जो यहाँ मामला नहीं है। नतीजतन, एक निर्वाचित सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का कोई निषेध नहीं है। यह बहुत संभव है कि अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले की अनुपस्थिति में-एक निर्वाचित सदस्य-अविश्वास प्रस्ताव हार सकता है

5 2014 (8) एडीजे 525 [2018] 3 एस. सी. आर.

मतदान करने में असमर्थता के कारण पंचायत, लेकिन इसके लिए प्रासंगिक नहीं है

हमारे उद्देश्य।

पद की शपथ की पवित्रता

33. वर्षों से उभरा मामला कानून बताता है कि

पद की शपथ लेने को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यह.

इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि पद की शपथ लेना केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ हद तक गंभीरता और पवित्रता जुड़ी हुई है। अलग-अलग कानून पद की शपथ नहीं लेने के लिए अलग-अलग परिणाम (कुछ काफी हल्के) प्रदान करते हैं। हम पहले ही अधिनियम और नियमों का उल्लेख कर चुके हैं। हमारी राय है कि चूंकि पद की शपथ लेना एक गंभीर अवसर है, इसलिए ऐसा करने में विफलता के गंभीर परिणाम होने चाहिए।

जैसे कि सीट को एक निर्दिष्ट समय के बाद खाली घोषित किया जाना। वास्तव में, तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 40 धारा 40 में निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

" 40. सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या पुष्टि-(1)

शपथ अधिनियम, 1969 में कुछ भी निहित होने के बावजूद (1969 का केंद्रीय अधिनियम 10), प्रत्येक व्यक्ति जो सदस्य के रूप में चुना जाता है या जो सदस्य बन जाता है, अपना स्थान लेने से पहले, पंचायत की बैठक में एक शपथ या प्रतिज्ञान करेगा।

निम्नलिखित रूप, अर्थात्ः

" मैं, ए. बी., सदस्य निर्वाचित होने के बाद/इस ग्राम पंचायत/पंचायत संघ परिषद/जिला पंचायत का सदस्य बनने के बाद ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं/ईमानदारी से पुष्टि करता हूं कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखूंगा, कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और जिस कर्तव्य पर मैं प्रवेश करने वाला हूं, उसका ईमानदारी से निर्वहन करूंगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो सदस्य के रूप में चुना गया हो या जो,

सदस्य बनने पर, अपना कार्यकाल शुरू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर या उक्त तिथि के बाद आयोजित पहली तीन बैठकों में से किसी एक में, जो भी बाद में हो, उप-धारा (1) में निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञान करना बंद कर देगा और उसकी सीट खाली मानी जाएगी।

(3) कोई भी व्यक्ति जो सदस्य के रूप में चुना गया है या जो सदस्य बन गया है, वह बैठक में अपनी सीट नहीं लेगा।
पंचायत या ऐसे सदस्य के रूप में कोई कार्य करें जब तक कि उसने

उप-धारा (1) में निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञान।

(4) उप-धारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत गठित पंचायत का अध्यक्ष या अध्यक्ष या समिति का सदस्य, जिसने सदस्य के रूप में शपथ या प्रतिज्ञान नहीं किया है, ऐसे अध्यक्ष, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने का हकदार होगा बशर्ते कि वह शपथ या प्रतिज्ञान करता है और पंचायत की पहली बैठक में अपना स्थान लेता है जिसमें वह निर्वाचित या नियुक्त होने के दो महीने के भीतर भाग लेता है।

जैसा भी मामला हो, राष्ट्रपति, अध्यक्ष या सदस्य के कार्यों का प्रयोग करने का हकदार है या हो जाता है।

34. हमारा विचार है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद की शपथ नहीं लेने के लिए गंभीर परिणामों के साथ दौरा किया जाना चाहिए।

निर्दिष्ट समय, मुख्य रूप से इसलिए कि संविधान भी पद की शपथ को बड़ी गंभीरता से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 60 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपने पद पर आने से पहले शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी तरह, संविधान के अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति से अपने पद पर प्रवेश करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा करने और उस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।

35. संविधान के अनुच्छेद 84 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा -

संसद में किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य होगा जब तक कि वह तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा नहीं करता है और उसकी सदस्यता नहीं लेता है। हम पहले ही संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा आवश्यक विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य द्वारा शपथ या पुष्टि का उल्लेख कर चुके हैं। यदि संविधान ने पद की शपथ को महत्व दिया है, तो कानून तमिलनाडु के समान कुछ क्यों नहीं प्रदान कर सकते हैं?

36. इसके अतिरिक्त, यह सराहना की जानी चाहिए कि पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवश्यकता के अलावा इसे गंभीरता से लेना

पद की शपथ, निर्वाचित प्रतिनिधियों के पद की शपथ लेने का एक निर्विवाद रिकॉर्ड राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा रखा जाना चाहिए। जब तक पद की शपथ की पवित्रता की सराहना नहीं की जाती है और उचित दस्तावेज नहीं रखे जाते हैं, तब तक हम वर्तमान जैसी स्थितियों का सामना करते रहेंगे जहां विवाद उठाया जाता है। क्या किसी निकाय के निर्वाचित सदस्य ने पद की शपथ ली है। इस तरह के विवादों से पूरी तरह से बचा जा सकता है।

निष्कर्ष

37. हम जिन तथ्यात्मक निष्कर्षों पर पहुंचे हैं और साथ ही इस विषय पर कानून को देखते हुए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि [2018] 3 एस. सी. आर.

13 याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य थे और वे अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के हकदार थे और इस संबंध में कोई कमजोरी नहीं थी।

38. तदनुसार याचिका खारिज कर दी जाती है और अंतरिम आदेश दिए जाते हैं।

खाली कर दिया। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

दीपाक गुप्ता, जे. 1. मैंने अपने सम्मानित भाई के विद्वतापूर्ण निर्णय को पढ़ा है। हालाँकि मैं इस निष्कर्ष से सहमत हूँ कि याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए और अंतरिम आदेश को खाली कर दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं इस मुद्दे पर अपने विद्वान भाई से सहमत होने के लिए खुद को आगे बढ़ाने में असमर्थ हूँ।

क्षेत्र पंचायत का सदस्य, जिसने पद की शपथ नहीं ली है, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर सकता है या पेश कर सकता है।

2. मेरे विद्वान भाई के निर्णय में तथ्यों के साथ-साथ प्रासंगिक नियमों और कानून के प्रावधानों को विस्तार से निर्धारित किया गया है, जिसका मुझे विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के नियम 2 (2) (अध्यक्ष या प्रमुख आदि के पद की शपथ) नियम, 1994 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) 'सदस्यों' को परिभाषित करता है। क्षेत्र पंचायत के मामले में, 'सदस्यों' का अर्थ है वे व्यक्ति जो निर्वाचित हुए हैं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत (संक्षेप में)

अधिनियम ")। अधिनियम में प्रावधान है कि एक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख होगा, जो इसका अध्यक्ष और निर्वाचित सदस्य होगा, जिसे पंचायत क्षेत्रों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुना जाएगा। इन निर्वाचित सदस्यों में से ही प्रमुख का चुनाव अधिनियम की धारा 6 (1) (बी) के अनुसार किया जाता है। के अनुसार

नियमों के नियम 3 (3), जो मेरे विद्वान भाई, क्षेत्र पंचायत के सदस्य के निर्णय में निर्धारित किया गया है, ऐसे सदस्य के रूप में पहली बार अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, प्रमुख के समक्ष और उनकी अनुपस्थिति में खंड विकास अधिकारी के समक्ष अधिनियम के परिशिष्ट में दिए गए प्रपत्र में शपथ या प्रतिज्ञा करेगा या उसकी सदस्यता लेगा। इसलिए नियम 3 (3) में यह परिकल्पना की गई है कि पहली बार बैठने से पहले सदस्य को शपथ लेनी चाहिए या शपथ लेनी चाहिए (जोर देना)।

प्रदान किया गया)। 'पहली बैठक' शब्दों को कुछ महत्व दिया जाना चाहिए और महत्व यह है कि ये निर्वाचित सदस्य अपने बीच से प्रमुख का चुनाव करते समय ही शपथ लिए बिना मतदान कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद प्रमुख उन्हें शपथ दिलाते हैं और फिर सदन की बैठक होती है।

राम पाल सिंह बनाम। यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य [दीपाक गुप्ता, जे।]

3. नियम 3 की भाषा इंगित करती है कि एक सदस्य को पंचायत की बैठक में भाग लेने से पहले शपथ की सदस्यता लेनी चाहिए। नहीं।

संदेह है कि एक निर्वाचित सदस्य सदस्य बना रहता है क्योंकि शपथ न लेने के लिए कोई अयोग्यता प्रदान नहीं की गई है, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि क्या ऐसा सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है।

पंचायत। इस संबंध में पशुपति नाथ सुकुल बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है। नेम चंद्र जैन और Ors.[1], भूपेंद्र नाथ बसु बनाम के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय। रंजीत सिंह 2 और कमला देवी बनाम के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय। उत्तर प्रदेश की स्थिति & Ors.[3]

4. इन निर्णयों पर विचार करने से पहले, मुझे लगता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट दो निर्णयों पर विचार करना उचित होगा।

भूपेंद्र नाथ बसु के मामले में अदालत (ऊपर)। पहला फैसला पेनरीना के महापौर का मामला है। इस मामले में, पेनरीन के महापौर को पद के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने शपथ नहीं ली थी और शपथ लिए बिना, उन्होंने महापौर के पद की शक्ति का प्रयोग किया था। यथास्थिति वारंट के एक रिट पर विचार किए जाने पर, यह पाया गया कि हालांकि महापौर को विधिवत चुना गया था, क्योंकि उन्होंने शपथ को स्वीकार किए बिना महापौर के रूप में कार्य किया था, उन्होंने महापौर की शक्ति को हड़प लिया था और उन्हें पद से हटाने का निर्णय पारित किया गया था। यह आग्रह किया गया था कि उन्हें शपथ लेने का निर्देश देते हुए अधिदेश पत्र जारी किया जाए, लेकिन इस प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि एक बार महापौर ने पद हड़प लिया था।

कार्यालय, उसके खिलाफ फैसला सुनाया जाना था।

5. रेक्स बनाम में निर्णय। स्वायर बहुत प्रासंगिक नहीं है। इस मामले में यह माना गया था कि महापौर के पद की अवधि शुरू होगी।

केवल उस तारीख से जब उन्होंने शपथ ली थी।

6. भूपेंद्र नाथ बसु के मामले (उपरोक्त) में कलकत्ता उच्च न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जिसमें बंगाल विधान परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र से गवर्नर जनरल की परिषद के गैर-आधिकारिक अतिरिक्त सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित किया गया था। चुनाव में चार उम्मीदवार थे और याचिकाकर्ता भूपेंद्र नाथ बसु को 17 वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर रहे। सफल रहे हैं।

1 (1984) 2 एससीसी 404

2 ए. आई. आर. 1914 कैल. 152

3 2014 (8) एडीजे 525

493 ई. आर. 714 [किंग्स बेंच]

5 109 ई. आर. 531 (किंग्स बेंच)

उम्मीदवार, अर्थात। महाराजा रणजीत सिंह बहादुर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्रमशः 18 और 22 वोट मिले थे। याचिकाकर्ता भूपेंद्र नाथ बसु ने पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल के समक्ष अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया और उसके बाद, उन्होंने मुख्य रूप से इस आधार पर चुनाव की वैधता पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया कि बंगाल विधान परिषद के दो सदस्यों, जिन्होंने अपना वोट डाला था, ने निष्ठा की शपथ नहीं ली थी और इसलिए, उनके वोटों को बाहर रखा जाना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विचाराधीन चुनावों से संबंधित विनियमों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि मतदाताओं को पंजीकृत पत्रों के माध्यम से भी अपने वोट का प्रयोग करने का अधिकार है और इसलिए, भले ही वे चुने गए हों और पद की शपथ के लिए सदस्यता नहीं ली हो, वे परिषद में गवर्नर जनरल के गैर-आधिकारिक सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते हैं। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" केवल विनियमों और अधिनियम द्वारा शासित विधायी कार्यों का प्रयोग करने के उद्देश्य से निष्ठा की शपथ की आवश्यकता होती है।

7. पशुपति नाथ सुकुल (उपरोक्त) के मामले में, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के लिए चुनाव हुआ और चुनाव आयोग ने

भारत सरकार ने 9 जून, 1980 को निर्वाचित सदस्यों के नामों को अधिसूचित किया। एक अधिसूचना जारी की गई थी कि वे 27 जून, 1980 को बुलाए गए विधानसभा के सत्र में संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत आवश्यकता के अनुसार शपथ लेंगे। इस बीच, चुनाव आयोग ने 17 जून, 1980 को एक अधिसूचना जारी कर निर्वाचित सदस्यों से राज्यसभा में रिक्तियों को भरने के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करने का आह्वान किया। नामांकन

24 जून, 1980 को मतदान होना था; यदि आवश्यक हो तो 4 जुलाई, 1980 को। पशुपति के नामांकन के खिलाफ की गई आपत्तियों में से एक नाथ सुकुल का कहना था कि उनका नाम एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसने

विधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली। विभिन्न अन्य आधार लिए गए थे जिनसे हम संबंधित नहीं हैं, लेकिन इस न्यायालय ने पूरे कानून पर चर्चा करने के बाद निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 20. हमारा विचार है कि एक निर्वाचित सदस्य जिसने शपथ नहीं ली है, लेकिन जिसका नाम अधिनियम की धारा 73 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में दिखाई देता है, वह सभी गैर-विधायी चुनावों में भाग ले सकता है।

एक निर्वाचित सदस्य की गतिविधियाँ। राज्यसभा के चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग भी उनके द्वारा किया जा सकता है।

8. तथापि, इसी मामले में शीर्ष न्यायालय की कुछ अन्य टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगाः

राम पाल सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [दीपाक गुप्ता, जे।]

" 18 .... अब सवाल यह है कि क्या शपथ लेना या पुष्टि करना एक पूर्ववर्ती के रूप में कार्य करने के योग्य होने के लिए एक शर्त है

राज्यसभा के चुनाव के लिए वैध नामांकन का प्रस्तावक।

संविधान के अनुच्छेद 193 में निहित नियम, जैसा कि कहा गया है इससे पहले, यह है कि विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकता है

शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले सदन में बैठें और मतदान करें। संविधान के अनुच्छेद 193 में 'बैठना और मतदान करना' शब्दों का तात्पर्य है कि संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल द्वारा सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक करने के लिए बुलाया जाता है जो वह उचित समझते हैं और उक्त के अनुसार सदन की बैठक आयोजित की जाती है।

समन या स्थगित बैठक। एक निर्वाचित सदस्य आता है

केवल संविधान के अनुच्छेद 193 के उल्लंघन के लिए दंड

जब वह सदन की ऐसी बैठक में बैठता है और मतदान करता है। अधिनियम की धारा 73 द्वारा प्रदान किए गए सामान्य चुनाव के बाद सदन के गठन के बीच निश्चित रूप से समय का अंतराल होता है और

सदन की पहली बैठक बुलाना। इस दौरान अन्तराल विधानसभा का एक निर्वाचित सदस्य जिसका नाम आता है

अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी अधिसूचना में हकदार है

किसी सदस्य के सभी विशेषाधिकार, वेतन और भत्ते

विधान सभा, उनमें से एक राज्य सभा में एक सीट भरने के लिए आयोजित चुनाव में निर्वाचक के रूप में कार्य करने का अधिकार है। यह अधिनियम की धारा 73 का प्रभाव है जिसमें कहा गया है कि इसके तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर सदन माना जाएगा।

गठित किया गया है। विचाराधीन चुनाव सदन की विधायी कार्यवाही का हिस्सा नहीं है। बैठक होती है। न ही इस तरह के चुनाव में डाला गया वोट दिया गया वोट है।

सदन के समक्ष उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर सदन। स्पीकर ने

चुनाव पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। चुनाव द्वारा आयोजित किया जाता है इस उद्देश्य के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया।

9. जब हम दोनों टिप्पणियों को एक साथ पढ़ते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि मबेर, जो किसी सदन के लिए चुने जाते हैं, सदस्य बनना बंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने शपथ की सदस्यता तब तक नहीं ली थी जब तक कि इस संबंध में कोई विशिष्ट राय न हो। तथापि, कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस न्यायालय के दोनों निर्णयों से यह स्पष्ट है कि ऐसा निर्वाचित सदस्यशपथ नहीं ली है, केवल उन कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं जो सदन की कार्यवाहियों से संबंधित हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय गवर्नर जनरल के गैर-आधिकारिक सदस्यों के चुनाव पर सुनवाई कर रहा था। मतदाता बंगाल विधान परिषद [2018] 3 एस. सी. आर के सदस्य थे।

और इसलिए, परिषद में गवर्नर जनरल के सदन के चुनाव का बंगाल विधानमंडल के कामकाज से कोई संबंध नहीं था

परिषद। जहाँ तक इस न्यायालय के फैसले का संबंध है, विधान सभा के सदस्य, जिन्होंने शपथ नहीं ली थी, वे राज्यसभा के चुनाव में भाग ले रहे थे, जो निश्चित रूप से विधान सभा के कार्य का हिस्सा नहीं था।

10. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, जैसा कि पहले बताया गया है, नियम 3 (3) में निर्धारित किया गया है कि पहली बार अपनी सीट लेने से पहले,

सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान की सदस्यता लेनी चाहिए। क्या होता है नतीजा

पंचायत, इस तरह के प्रस्ताव को अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसलिए, यह पंचायत के कार्य का हिस्सा है। एक निर्वाचित सदस्य जिसने शपथ नहीं ली है, वह आगे नहीं बढ़ सकता है और इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। इस तरह के प्रस्ताव को अधिनियम की धारा 15 के संदर्भ में पेश किया जाना है। मेरे विचार में, जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है और इसलिए, ऐसे अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने के हकदार नहीं हैं, उन्हें इस तरह के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का हकदार या पात्र नहीं माना जा सकता है। अन्यथा, यह एक बहुत ही विषम स्थिति पैदा कर देगा जहाँ ऐसे सदस्य एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर सकते हैं लेकिन जब उक्त प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है तो वे मतदान नहीं कर सकते। यह विधानमंडल का इरादा नहीं हो सकता था। अधिनियम की धारा 15 (12) और (13) में प्रावधान है कि चुनाव होने के एक साल के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है। प्रस्ताव की अस्वीकृति के स्थान पर या एक वर्ष के भीतर। इस प्रकार, विधानमंडल का इरादा था कि अविश्वास प्रस्ताव को एक टोपी की बूंद पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, मेरे अनुसार, जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है

और, इसलिए, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने का अधिकार नहीं है, ऐसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

11. जहाँ तक कमला देवी (उपरोक्त) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का संबंध है, वह केवल इस न्यायालय के फैसले का पालन करना चाहता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मेरा दृष्टिकोण अलग है, न तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय और न ही इस न्यायालय का निर्णय तत्काल मामले के तथ्यों पर लागू होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय, मेरे अनुसार, कानून की सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है।

12. इसलिए, मैं अपने सम्मानित विद्वान भाई से इस सवाल पर सम्मानपूर्वक असहमत हूं कि क्या अविश्वास पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

प्रस्ताव सदन के कामकाज का हिस्सा है। हालाँकि, मैं राम पाल सिंह बनाम से सहमत हूँ।

यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य [दीपाक गुप्ता, जे।]

मेरे विद्वान भाई के साथ कि याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। तथ्यों के बारे में विवादित प्रश्न हैं कि क्या कुछ सदस्यों ने लिया था

शपथ लें या न लें, इस स्तर पर किन प्रश्नों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है और याचिकाकर्ता यह साबित करने के लिए उन पर भारी बोझ डालने में विफल रहा है कि इन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है। मैं अपने विद्वान भाई से भी सहमत हूं कि शपथ के साथ पवित्रता जुड़ी होनी चाहिए। के विभिन्न लेख

भारत के संविधान और विभिन्न अन्य कानूनों में यह प्रावधान है कि व्यक्ति

सार्वजनिक पद को निष्ठा की शपथ की सदस्यता लेनी चाहिए। इस शपथ को अर्थहीन बनाया जा सकता है और विधायिका को अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि वह इस तरह के पद की शपथ को स्वीकार नहीं करने के लिए परिणाम प्रदान करे। भविष्य में इस तरह के विवाद से बचने के लिए, यह भी सलाह दी जाएगी कि शपथ ग्रहण/शपथ ग्रहण की वीडियोग्राफी की जाए ताकि भविष्य में ऐसा कोई विवाद पैदा न हो।

कल्पना के. त्रिपाठी

या

चिका खारिज